भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.423
उत्तर देने की तारीख 27 नवम्बर, 2024

टेलीफोन और मोबाइल सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम शुल्क

423. श्री अबू ताहेर खान:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार टेलीफोन बिल या मोबाइल रिचार्ज की न्यूनतम राशि को बनाए रखने के बारे में विचार कर रही है क्योंकि विगत कुछ वर्षों में एक आश्चर्यजनक घटना देखी गई है जहां कुछ मोबाइल ऑपरेटरों के लिए मोबाइल नंबर को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम रिजार्च को अनिवार्य कर दिया गया है जो चिंता का विषय है क्योंकि गरीब लोगों को भी बैंक खाते, आधार कार्ड, एलपीजी कनेक्शन और कई अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करने के लिए लगातार इस पैसे को खर्च करना पड़ता है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार इस मुद्दे के प्रति सजग है और क्या वह इस प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर गरीब लोगों को कुछ राहत देगी?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के अनुसार, भारत सरकार द्वारा दूरसंचार शुल्क को विनियमित करने का अधिदेश भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को दिया गया है। मौजूदा विनियामक शुल्क प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय रोमिंग, ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सेवाएं, यूएसएसडी सेवाएं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी शुल्क और लीज्ड सर्किट आदि जैसी सेवाओं को छोड़कर दूरसंचार सेवा के लिए टैरिफ फोरबीयरेंस के अधीन है। इसका तात्पर्य है कि दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) प्रतिस्पर्धी बाजार में दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ तय करने

के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, दूरसंचार शुल्क आदेश (टीटीओ) की अपेक्षाओं के अनुसार टीएसपी बाजार में अपने टैरिफ लागू करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर ट्राई के समक्ष अपने टैरिफ फाइल करने के लिए बाध्य हैं। फिर इन टैरिफ की जांच विनियामक सिद्धांतों के अनुपालन के लिए की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पारदर्शिता, गैर-प्रलोभन और गैर-विभेदकारिता के सिद्धांत शामिल हैं।

*****